"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 मई 2009— वैशाख 11, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती डी. रमादेवी पति श्री डी. प्रमोद कुमार, उम्र 44 वर्ष, निवासी रेल्वे क्वार्टर नं. 512/बी, जोन-1, बी. एम. वाय. चरौदा, तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती डी. वेनेशा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती डी. वेनेशा पति श्री डी. प्रमोद कुमार के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती डी. रमादेवी	श्रीमती डी. वेनेशा
पति श्री डी. प्रमोद कुमार	पति श्री डी. प्रमोद कुमार
निवासी-रेल्वे क्वार्टर नं. 512/बी	निवासी-रेल्वे क्वार्टर नं. 512/बी
जोन-1, बी. एम. वाय. चरौदा	जोन-1, बी. एम. वाय. चरौदा
तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि मैं इन्द्रनाथ चटर्जी आत्मज श्री शिशिर कुमार चटर्जी, उम्र 39 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 62, सड़क नं.-15, प्रगति नगर, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्र शान्तनु चटर्जी का नाम परिवर्तित कर अभय चटर्जी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को अभय चटर्जी आत्मज श्री इन्द्रनाथ चटर्जी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

शान्तनु चटर्जी
आत्मज श्री इन्द्रनाथ चटर्जी
निवासी-प्लाट नं. 62, सड़क नं.-15
प्रगति नगर, रिसाली भिलाई
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अभय चटर्जी
आत्मज श्री इन्द्रनाथ चटर्जी
निवासी-प्लाट नं. 62, सड़क नं.-15
प्रगति नगर, रिसाली भिलाई
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमति सुमरीता भरत पति श्री जयलाल भरत निवासी ग्राम व पोस्ट-देवपुर, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व मेरा नाम कु. सुमरीत बाई पिता श्री कुंवर सिंह था. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को मैं परिवर्तित कर श्रीमति सुमरीता भरत रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमति सुमरीता भरत पति श्री जयलाल भरत के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

श्रीमति सुमरीत बाई भरत
पति श्री जयलाल भरत
निवासी-ग्राम व पोष्ट-देवपुर
तहसील-नगरी, जिला-धमतरी (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमति सुमरीता भरत
पति श्री जयलाल भरत
निवासी-ग्राम व पोस्ट-देवपुर
तहसील-नगरी, जिला-धमतरी (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती अंजली वर्मा पति स्व. अविनाश वर्मा निवासी रूद्री रोड़, गोकुलपुर, धमतरी, तह. व जिला-धमतरी (छ. ग.) की हूं विवाह पूर्व मेरा नाम कु. दीपा सक्सेना पिता श्री प्रताप बहादुर सक्सेना था. मेरा विवाह दिनांक 4-12-1992 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुआ, विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती अंजली वर्मा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती अंजली वर्मा पति स्व. अविनाश वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

कु. दीपा सक्सेना
पिता श्री प्रताप बहादुर सक्सेना
निवासी-H-1/1, रेल्वे क्वार्टर
घोसीपुरा, शिवनगर लश्कर
ग्वालियर (म. प्र.)

नया नाम

श्रीमती अंजली वर्मा
पति स्व. अविनाश वर्मा
निवासी- रूद्री रोड, गोकुलपुर, धमतरी
तह. व जिला धमतरी (छ. ग.)
पिन-493773

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं प्यारेलाल चर्मकार आत्मज स्व. टिल्ला, जाति चर्मकार, मूल निवासी ग्राम-पचवारा तह.-नौगांव, जिला छतरपुर (म. प्र.) वर्तमान निवासी केडिया कालोनी, पेन्ड्रारोड बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर अपना नाम प्यारेलाल वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे प्यारेलाल वर्मा आत्मज स्व. टिल्ला के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
प्यारेलाल चर्मकार	प्यारेलाल वर्मा
आत्मज स्व. टिल्ला	आत्मज स्व. टिल्ला
निवासी-केडिया कालोनी, पेन्ड्रारोड	निवासी-केडिया कालोनी, पेन्ड्रारोड
जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 31 मार्च 2009

क्रमांक/170/उपंरा/परिसमापन/2009.—चूंकि कार्यालयीन आदेश क्रमांक /उपंरा/परिसमापन/716, दिनांक 27-6-2002 के तहत नव जीवन परिवहन सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक 219, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर इसी अधिनियम की धारा 70(1) के अधीन श्री डी. बी. ढारगावे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है और उक्त संस्था के परिसमापक ने नियमानुसार उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(3) के प्रावधानों के अधीन अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के तथ्यों से मैं संतुष्ट हूं एवं उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय पाता हूं.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 की उपधारा (1) एवं (2) के विहित प्रावधानों के अंतर्गत नव जीवन परिवहन सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक 219, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कारपोरेट) आज दिनांक 31-3-2009 से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 31 मार्च 2009

क्रमांक/171/उपंरा/परिसमापन/2009.—चूंकि कार्यालयीन आदेश क्रमांक /उपंरा/परिसमापन/1099, दिनांक 23-8-1980 के तहत एस. ई. रेल्वे सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक 709, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर इसी अधिनियम की धारा 70(1) के अधीन श्री डी. बी. ढारगावे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है और उक्त संस्था के परिसमापक ने नियमानुसार उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(3) के प्रावधानों के अधीन अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के तथ्यों से मैं संतुष्ट हूं एवं उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय पाता हूं.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 की उपधारा (1) एवं (2) के विहित प्रावधानों के अंतर्गत एस. ई. रेल्वे सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक 709, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कारपोरेट) आज दिनांक 31-3-2009 से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/362.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/783/बिलासपुर दिनांक 27-6-2006 के तहत आदर्श बांस उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित, जेवरा, पंजीयन क्रमांक 1364 दिनांक 9-11-2005 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री बी. आर. यादव, सहकारिता अधिकारी, मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. एस. ठाकुर, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/बी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

डी. एस. ठाकुर,
संयुक्त पंजीयक.

बिलासपुर, दिनांक 30 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/350.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/780/बिलासपुर दिनांक 5-4-2008 के तहत मां डिडोरी सह. उप. भंडार सहकारी समिति मर्यादित, चांटीडीह, पंजीयन क्रमांक 3919 दिनांक 6-11-98 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/351.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/598/बिलासपुर दिनांक 17-5-2006 के तहत हरिजन मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, रॉक, पंजीयन क्रमांक 3203 दिनांक ....विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/352.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/717/बिलासपुर दिनांक 9-6-2006 के तहत खनिज सहकारी समिति मर्यादित, लावर, पंजीयन क्रमांक 3702 दिनांक 25-9-96 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/353.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1219/बिलासपुर दिनांक 9-6-2008 के तहत कमला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित, कतिया पारा बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3601 दिनांक 17-2-95 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 30 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/354.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/114/बिलासपुर दिनांक 29-1-2007 के तहत सिंधु प्राथमिक सह. उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित, भक्त कवर राम नगर, पंजीयन क्रमांक 3491 दिनांक 7-8-92 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री एम. के. बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-3-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/364.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/529/बिलासपुर दिनांक 24-4-2006 के तहत केंवट निषाद मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, गतौरा, पंजीयन क्रमांक 137 दिनांक 23-11-02 विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री बी. आर. यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-3-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/365.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/773/बिलासपुर दिनांक 5-4-2008 के तहत स्मृति प्राथ. उपभोक्ता सहकारी समिति मर्यादित, संजय नगर तारबाहर, पंजीयन क्रमांक 3612 दिनांक 24-2-95 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-3-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/366.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/772/बिलासपुर दिनांक 5-4-2007 के तहत विभूति सह. उप. भंडार सहकारी समिति मर्यादित, रविदास नगर बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3947 दिनांक 31-12-99 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-3-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.